संख्या-33/सीपी 317/84-2-2013-सीपी 55/98

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2013

विषय संसदीय स्थायी समिति की पैरा संख्या 3.32, 3.33 एवं 3.54 में की गयी संस्तुति पर कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1285/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 12/09, दिनांक 03.07.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपदों हापुड, शामली एवं सम्भल में जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम हेतु पदों का सृजन जुलाई, 2013 में किया जा चुका है। उक्त जनपदों में फोरम क्रियाशील हुआ या नहीं, की सूचना सहित संसदीय स्थायी समिति की संस्तुतियों पर प्रस्तरवार आख्या/सूचना शासन को पुन: उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in